# न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

**बअदालत :— राजेन्द्र कुमार—।। आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या 59/2021

गीतादेवी पत्नि नारायणराम जति जाट निवासी मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर
—वादी—

बनाम

1 किसनलाल पुत्र चम्पालाल जाति जाट साकिन मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर
—प्रतिवादीगण—

**उपस्थित :—**
1 श्री श्यामदीन पड़िहार एडवोकेट वादीयां की ओर से
2. पेरोकार राज

**दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती**
**दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट**
**—: निर्णय :—**

दिनांक :— 16/01/2023

वादी , प्रतिवादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयां की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर वकील वादीयां द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम रोही मौजा मोहकमपुरा के खसरा नम्बर 129 तादादी 13.03 बीघा खरीदशुदा हैं। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे के दौरान नये खसरा नम्बर 108 तादादी 5.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444 तादादी 3.330 हैक्टेयर बनाकर रेकार्ड प्रस्तुत किया। उक्त खसरा नम्बर 108 व 444 की तादादी से खसरा नम्बर 444 को चकबन्दी में रिकार्ड तैयार करते समय चक 2 एमजीडी के मु.नं. 102/4 के कि.नं. 2,3,7,8,14ता17,24,25 कुल 10 बीघा व मु.नं. 102/2 के कि.नं. 20,21 में 2.0 बीघा व मु.नं 102/3 के किला नं. 22 में 1 बीघा कुल 13.0 बीघा फिटिंग कर दी गई। मुताबिक रिकार्ड सूची नं. 4 मु.नं. 102/4 के किला नं. 2,3,8 कुल 3.0 बीघा वादीया के नाम से कब्जाकाश्त व सूची नं. 4 क विपरित फिटिंग कर रिकार्ड जमाबन्दी तैयार कर दी गई। जबकि वादीनी की कब्जा काश्त व सूची नं. 4 के अनुसार मु.नं. 102/3 के किला नं. 19,21,23 पर है इस प्रकार वादीनी [illegible] द्वारा सूची नं. 4 से चकबन्दी मु.नं. में रिकार्ड तैयार करते समय कब्जा [illegible] विपरीत करदी जिसकी वादीनी जरिये घोषणा. दुरूस्ती [illegible] की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए [illegible] मौका पर वादीनी के कब्जाकाश्त में है तथा रिकार्ड में मु.नं. 102/3 के किला नं. 19,21 व 23 आराजीराज दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दा[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया हैं। इसके अलावा वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए समझोता में यह स्वकीार किया कि चक 2 एमजीडी के मु.नं. 102/3 के किला नं. 19,21,23 में वादनी के कब्जाकाश्त में जिसकी फिटिंग दुरूस्ती मुताबिक सूची नं. 4 कर दिये जाने में उसे आपत्ति नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra K
Date: 2023.01.27 11:12:55 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

प्रतिवादी संख्या 1 किसनलाल के निरन्तर कब्जाकाश्त में खरीदशुदा की गलत फिटिंग के कारण रकबा सियाचचक बताया गया जिसके कारण वादीयां की मु.नं. 102/3 के किला नं. 19,21,23 में 3.0 बीघा रकबा राज बताया गया है जो राजस्व अमला की गलती से हुवा हैं। वादीया को राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिकूल अंकन निरस्त कराकर घोषाणा के जरिए रिकॉर्ड मैन्टेन कराने का अधिकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने इनकाल जवाब दावा में वर्णित कथनों को स्वीकार किया है वकील वादीनी की बहस का कोई प्रतिरोध नहीं किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपुर्वक अध्ययन किया । बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया । रिकार्ड का अवलोकन से हमें यह प्रतीत हुआ है कि वादीनी की ग्राम मोहकमपुरा के गत खसरा नम्बर 129 वर्तमान भू–प्रबन्ध खसरा नम्बर 108 व 444 की तादादी 13.03 बीघा मे चकबन्दी के दौरान फिटिंग करते समय चक 2 एमजीडी के मु.नं. 102/4 के किला नं. 2,3,7,8,14ता17, 24,25 मु.नं. 102/3 के किला नं. 22, मु.नं. 102/2 के कि.नं. 20,21 बारानी में जमाबन्दी में दर्ज है जबकि मुताबिक सूची नं. 4 वादीनी के मु.नं. 102/3 के कि.नं. 19,21,23 बनते हैं। जिस पर वादनी का कब्जाकाश्त भी हैं। अतः उपरोक्त में किये गये विवेचन के आधार पर वाद वादीनी स्वीकार किया जाता है तथा वादीनी के चक 2 एमजीडी मु.नं. 102/4 के किला नं. 2,3,8 में 3.0 बीघा अराजीराज दर्ज करने व मु. नं. 102/3 के किला नं. 19,21, 23 में 3.0 बीघा वादीनी के नाम से रिकार्ड दुरूस्ती की घोषणा की जाती हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार– I.I)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:12:55 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर**

**ब इजलास : राजेन्द्र कुमार–।।, आरएएस**

गीता **बनाम** किसनलाल वगै0

**दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट**

**मुकदमा नम्बर :– 59 / 2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीयां वकील श्री श्यामदीन पड़िहार,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीयां स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि तहसीलदार लूनकरनसर वादीनी के चक 2 एमजीडी मु.नं. 102 / 4 के किला नं. 2,3,8 में 3.0 बीघा अराजीराज दर्ज करने व मु.नं. 102 / 3 के किला नं. 19,21, 23 में 3.0 बीघा वादीनी के नाम से रिकार्ड में दुरूस्त करें।

नीज ................................- ........................मुबलिक ..................- ......................बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...................... -.............................. फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक .................-.......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.01.2023 को डिक्री जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार–।।)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:12:55 IST
Reason: SelfAttested